

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


अधिसूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन (सम्प्रति मुख्यालय, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) निम्नांकित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी (वेतन स्तर-8) को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :

क्र0	नाम एवं कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थल/जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा, 147/2024	पटना	राज्य खाद्य निगम को सेवा प्रदत्त	रोह, नवादा	प्रशासनिक दृष्टिकोण से।
02	श्री मुक्ति कुमार लश्कर, 154/2024	पूर्वी चम्पारण	जोकीहाट, अररिया	पारू, मुजफ्फरपुर	प्रशासनिक दृष्टिकोण से।
03	श्री समदर्शी पासवान, 193/2024	पटना	राज्य खाद्य निगम को सेवा प्रदत्त	पीरो, भोजपुर	प्रशासनिक दृष्टिकोण से।

2. संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी मुख्यालय, पटना से विरमित होने के उपरांत नव पदस्थापित प्रखंड/स्थान पर अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उपर्युक्त सभी आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी मुख्यालय, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि का बकाया वेतन नव पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला से प्राप्त करेंगे।
4. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(एनानंद कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03- विविध (नियुक्ति)-02/2022 **1401** खाद्य, पटना/दिनांक- **20/03/2024**
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल एवं पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, नवादा, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों/पणन पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03- विविध (नियुक्ति)-02/2022 **1401** खाद्य, पटना/दिनांक- **20/03/2024**
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/निदेशक-सह-विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/अवर सचिव, प्रशाखा-08 एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।